न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारीः—रमेश देव आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः— 266/2022

वादपत्र अन्तर्गत धारा :— 88 आरटीए

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. गुरविन्द्र सिंह पुत्र श्री लाभ सिंह	अकवाम— जटसिख
2. निर्मल सिंह पुत्र श्री लाभ सिंह	सकनाए— बोलांवाली
3. गुरमीत सिंह पुत्र श्री ठाणा सिंह	तहसील— संगरिया
4. गुरसेवक सिंह पु. श्री मक्खन सिंह	जिला— हनुमानगढ़

वादीगण

बनाम

1. लाभ सिंह पुत्र स्व. श्री रणजीत सिंह जाति जटसिख निवासी बोलावांली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. ठाणा सिंह पुत्र स्व. श्री रणजीत सिंह जाति जटसिख निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
3. मक्खन सिंह पुत्र स्व श्री रणजीत सिंह जाति जटसिख निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
4. लखविन्द्र कौर पुत्री श्री ठाणा सिंह जाति जटसिख निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
5. बिन्द्र कौर पुत्री श्री ठाणा सिंह जाति जटसिख निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
6. कुलविन्द्र कौर पुत्री श्री ठाणा सिंह जाति जटसिख निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
7. वीरपाल कौर पुत्री श्री मक्खन सिंह जाति जटसिख निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
8. गुरदीप कौर पुत्री श्री मक्खन सिंह जाति जटसिख निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
9. शाखा प्रबन्धक बैंक आफ बड़ौदा शाखा संगरिया।
10. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

उपस्थित — 1. श्री भीम पारीक एडवोकेट (वादीगण)
2. श्री कुलदीप मूण्ड एडवोकेट (प्रति.सं. 1 ता 8)
3. श्री राधेश्याम एडवोकेट (प्रति.सं. 9)
4. तहसीलदार राज—पैरोकार (प्रति.स. 10)

निर्णय   दिनांकः—28.12.2022

अधिवक्ता वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है तथा वादीगण के दादा स्व. श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री गुरदयाल सिंह नाम से संगरिया तहसील के चक 6 एन.टी.डब्ल्यू के खाता सं 40/56 जमाबंदी संवत 2073—76 में 0.253 है., चक 7 एन.टी.डब्ल्यू के खाता संख्या 79/18 जमाबंदी संवत 2070—73 में 0.759 है., चक 16 बी.जी.जी के खाता संत्र 64/11 जमाबंदी संवत 2070—73 में 0.506 है. व चक 17 बी.जी.पी. के खाता संख्या 129/27 जमाबंदी संवत 2072—75 में 1.012 है. कुल 2.530 है. अर्थात 10 बीघा कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी संलग्न वाद पत्र है। उक्त वर्णित समस्त कृषि भूमि वादीगण के दादा के नाम से दर्ज है तथा वादीगण के दादा श्री रणजीत सिंह का स्वर्गवास हो चुका है। वादीगण के दादा के नाम से दर्ज उक्त कृषि भूमि हम वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 की संयुक्त परिवार की संपति है जिसका घरू विभाजन हो चुका है तथा मुताबिक विभाजन हम वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्सा पर काबिज है। कब्जा काश्त बाबत किसी भी काश्तकार के साथ किसी प्रकार का विवाद नहीं है। मुताबिक घरू विभाजन वादीगण को निम्न प्रकार से कृषि भूमि प्राप्त हुई तहसील संगरिया के चक 6 एन.टी.डब्ल्यू. के खाता सं 40/56 जमाबंदी संवत 2073—76 में वादीगण के दादा स्व श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री गुरदयाल सिंह के नाम से दर्ज 0.253 है. कृषि भूमि में से वादी संख्या 1 गुरविन्द्र सिंह को 0.063 है., वादी संख्या 2 निर्मल सिंह को 0.063 है., वादी संख्या 3 गुरमीत सिंह को 0.127 है. कृषि भूमि। वादीगण के दादा स्व श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री गुरदयाल सिंह नाम से संगरिया तहसील के चक 7 एन.टी.डब्ल्यू के खाता संख्या 73/18 जमाबंदी संवत 2070—73 में दर्ज 0.759 है. कृषि भूमि में से वादी संख्या 1 गुरविन्द्र सिंह को 0.106 है. वादी संख्या 2 निर्मल सिंह को 0.105 है., वादी संख्या 3 गुरमीत सिंह को 0.211 है. व वादी संख्या 4 गुरसेवक सिंह को 0.337 है. कृषि भूमि वादीगण के दादा स्व श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री गुरदयाल सिंह नाम से संगरिया तहसील के चक 16 बी.जी.पी. के खाता संख्या 64/11 जमाबंदी संवत 2070—73 में दर्ज 0.506 है. में से वादी संख्या 1

गुरविन्द्र सिंह को 0.084 है., वादी संख्या 2 निर्मल सिंह को 0.084 है., वादी संख्या 3 गुरमीत सिंह को 0.163 है. व वादी संख्या 4 गुरसेवक सिंह को 0.169 है. कृषि भूमि वादीगण के दादा स्व. श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री गुरदयाल सिंह नाम से संगरिया तहसील के चक 17 बी.जी.पी. के खाता संख्या 129/27 जमाबंदी संवत 2072–75 में 1.012 है. में से वादी संख्या 1 गुरविन्द्र सिंह को 0.169 है., वादी संख्या 3 गुरमीत सिंह को 0. 337 है. व वादी संख्या 4 गुरसेवक सिंह को 0.337 है. कृषि भूमि वादीगण उक्तानुसार ही कृषि भूमि पर काबिज है कब्जा काश्त बाबत किसी प्रकार का विवाद नहीं है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के पास इन्हीं खातों में अन्य कृषि भूमि दर्ज है। प्रतिवादीया संख्या 4,5,6 वादी सख्या 3 की सगी बहिने है तथा प्रतिवादीया संख्या 7 व 8 वादी संख्या 4 की सगी बहिने है जिन्होंने अपने विरासतन प्राप्त होने वाले हिस्सा की समस्त कृषि भूमि का परित्याग वादीगण संख्या 3 व 4 के पक्ष में कर दिया है। इसके अलावा इनके पास अन्य विकल्प भी मौजूद है जिससे वे वादीगण के पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में से अपना हिस्सा प्राप्त कर सकती है। उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि वादीगण के कब्जा में होने के बावजूद राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के स्वर्गीय दादा के नाम से दर्ज होने के कारण वादीगण को बैंक लोन एवं सिंचाई सुविधाओं एवं सरकारी सहायता प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसलिये वादीगण अपने हिस्सा की कृषि भूमि को अपने नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाना चाहते हैं जिसके वे अधिकारी एवं दावेदार है।

लिहाजा वाद वादीगण, मय शपथ पत्र, दो प्रतियों में प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादीगण, विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे कि तहसील संगरिया के चक 6 एन.टी.डब्ल्यू. के खाता संख्या 40/56 जमाबंदी संवत 2073–76 में वादीगण के दादा स्व. श्री रणजीत सिंह पु. श्री गुरदयाल सिंह के नाम से दर्ज 0.253 है. कृषि भूमि में से वादी संख्या 1 गुरविन्द्र सिंह 0.063 हैक्टेयर, वादी संख्या 2 निर्मल सिंह 0.063 हैक्टेयर, वादी संख्या 3 गुरमीत सिंह 0.127 है. कृषि भूमि के, वादीगण के दादा स्व. श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री गुरदयाल सिंह नाम से संगरिया तहसील के चक 7 एन.टी.डबलयू के खाता संख्या 79/18 जमाबंदी संवत 2070–73 में दर्ज 0.759 है. कृषि भूमि में से वादी सं. 1 गुरविन्द्र सिंह 0.106 है., वादी संख्या 2 निर्मल सिंह 0.105 है., वादी संख्या 3 गुरमीत सिंह 0.211 है. व वादी सं. 4 गुरसेवक सिंह 0.337 है. कृषि भूमि के, वादीगण के दादा स्व श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री गुरदयाल सिंह नाम से संगरिया तहसील के चक 16 बी.जी.पी के खाता संख्या 64/11 जमाबंदी संवत 2070–73 में दर्ज 0.506 है. में से वादी संख्या 1 गुरविन्द्र सिंह 0.084 है., वादी संख्या 2 निर्मल सिंह 0.084 है., वादी संख्या 3 गुरमीत सिंह 0.169 है. व वादी संख्या 4 गुरसेवक सिंह 0.169 है. कृषि भूमि के एवं, वादीगण के दादा स्व. श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री गुरदयाल सिंह नाम से संगरिया तहसील के चक 17 बी.जी.पी. के खाता संख्या 129/27 जमाबंदी संवत 2072–75 में 1.012 है. में से वादी संख्या 1 गुरविन्द्र सिंह 0.169 है., वादी संख्या 2 निर्मल सिंह 0.169 है., वादी संख्या 3 गुरमीत सिंह 0.337 है. व वादी संख्या 4 गुरसेवक सिंह 0.337 है. कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार है। उक्त समस्त खातों से वादीगण के दादा स्व. श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री गुरदयाल सिंह का नाम कलमजन किया जावे।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी एवं प्रति.सं. 1 ता 8 ने जरिये अधिवक्ता अपना राजीनामा प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 9 बैक की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। जो शामिल पत्रावली किया। प्रतिवादी सं. 10 राज पैरोकार तहसीलदार (राजस्व) संगरिया की ओर से जबाव प्रस्तुत किया गया। जिसमें राज्य हित को विपरीत प्रभावित किये बिना वादी को याचित अनुतोश प्रदान करने में कोई आपत्ति नहीं की गई। प्रकरण में विवाधक न बनना पाये जाने पर साक्ष्य वादी रिकार्ड की गई। वादी संख्या 4 ने अपने साक्ष्य में आदेश 18 नियम 4 व्या.प्र.संहिता का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया तथा चक 6 एनटीडब्ल्यू खाता सं. 40/56 ज.स. 2073–2076, चक 7 एनटीडब्ल्यू खाता संख्या 79/18 ज.स. 2070–73 व चक 16 बीजीपी खाता संख्या 64/11 ज.स. 2070–73 एवं चक 17 बीजीपी खाता संख्या 129/27 ज.स. 2072–73 की जमाबंदी प्रदर्श 1 ता 4 करवाई गई है। साथ ही वकील वादीगण ने रणजीत सिह पुत्र श्री गुरदयाल सिह का मृत्यु प्रमाण की फोटो प्रति पेश की है।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि चक 6 एनटीडब्ल्यू खाता सं. 40/56 ज.स. 2073–2076, चक 7 एनटीडब्ल्यू खाता संख्या 79/18 ज.स. 2070–73 व चक 16 बीजीपी खाता संख्या 64/11 ज.स. 2070–73 एवं चक 17 बीजीपी खाता संख्या 129/27 ज.स. 2072–73 में कृषि भूमि वादीगण के दादा स्व. रणजीत सिह के नाम दर्ज है जो हमारी जद्दी जायदाद है। बहस में यह भी कथन किया कि वादीगण के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र को स्वीकार किया जावे है। पैतृक सम्पति साबति करने हेतु बतौर साक्ष्य में वकील वादीगण ने रणजीत सिह पुत्र श्री गुरदयाल सिह का मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रति के आधार पर वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित होने से वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 ता 8 एक ही परिवार के सदस्य है। वादग्रस्त आराजी वाद पत्र के वर्णितानुसार प्रदर्श 1 ता 4 मे मृतक रणजीत सिह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रति से पैतृक साबित है। प्रतिवादीगण 1 ता 8 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया है जिससे वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि हो रही है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने आपस में आराजी क़ी घोषणा बाबत राजीनामा पेश किया है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वादीगण के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया गया। प्रकरण में राजीनामा पेश हो चुका है। परिणाम स्वरूप वाद वादी मुताबिक राजीनामा अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी उक्त राजीनामा के आधार पर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है किः– तहसील संगरिया के चक 6 एन.टी.डब्ल्यू के खाता संख्या 40/56 जमाबंदी संवत 2073–76 में वादीगण के दादा स्व. श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री गुरदयाल सिंह के नाम से दर्ज 0.253 है. कृषि भूमि में से वादी संख्या 1 गुरविन्द्र सिंह 0.063 हैक्टेयर, वादी संख्या 2 निर्मल सिंह 0.063 हैक्टेयर, वादी संख्या 3 गुरमीत सिंह 0.127 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार व वादीगण के दादा स्व. श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री गुरदयाल सिंह नाम से संगरिया तहसील के चक 7 एन.टी.डब्लयू के खाता संख्या 79/18 जमाबंदी संवत 2070–73 में दर्ज 0.759 है. कृषि भूमि में से वादी सं. 1 गुरविन्द्र सिंह 0.106 है., वादी संख्या 2 निर्मल सिंह 0.105 है., वादी संख्या 3 गुरमीत सिंह 0.211 है. व वादी सं. 4 गुरसेवक सिंह 0.337 है. कृषि भूमि खातेदार काश्तकार, वादीगण के दादा स्व श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री गुरदयाल सिंह नाम से संगरिया तहसील के चक 16 बी.जी.पी के खाता संख्या 64/11 जमाबंदी संवत 2070–73 में दर्ज 0.506 है. में से वादी संख्या 1 गुरविन्द्र सिंह 0.084 है., वादी संख्या 2 निर्मल सिंह 0.084 है., वादी संख्या 3 गुरमीत सिंह 0.169 है. व वादी संख्या 4 गुरसेवक सिंह 0.169 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार एवं, वादीगण के दादा स्व. श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री गुरदयाल सिंह नाम से संगरिया तहसील के चक 17 बी.जी.पी. के खाता संख्या 129/27 जमाबंदी संवत 2072–75 में 1.012 है. में से वादी संख्या 1 गुरविन्द्र सिंह 0.169 है., वादी संख्या 2 निर्मल सिंह 0.169 है., वादी संख्या 3 गुरमीत सिंह 0.337 है. व वादी संख्या 4 गुरसेवक सिंह 0.337 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर उक्त समस्त खातों से वादीगण के दादा स्व. श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री गुरदयाल सिंह का नाम कलमजन किया जावे। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 28.12.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास में सुनाया गया।

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

वादपत्र अन्तर्गत धारा :–88 आरटीए

प्रकरण संख्याः– 266/2022

1. गुरविन्द्र सिंह पुत्र श्री लाभ सिंह	अकवाम– जटसिख
2. निर्मल सिंह पुत्र श्री लाभ सिंह	सकनाए– बोलांवाली
3. गुरमीत सिंह पुत्र श्री ठाणा सिंह	तहसील– संगरिया
4. गुरसेवक सिंह पु. श्री मक्खन सिंह	जिला– हनुमानगढ़

वादीगण

बनाम

1. लाभ सिंह पुत्र स्व. श्री रणजीत सिंह जाति जटसिख नि.बोलावांली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. ठाणा सिंह पुत्र स्व. श्री रणजीत सिंह जाति जटसिख नि.बोलांवाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़।
3. मक्खन सिंह पुत्र स्व श्री रणजीत सिंह जाति जटसिख नि.बोलांवाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़।
4. लखविन्द्र कौर पुत्री श्री ठाणा सिंह जाति जटसिख नि. बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
5. बिन्द्र कौर पुत्री श्री ठाणा सिंह जाति जटसिख निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
6. कुलविन्द्र कौर पुत्री श्री ठाणा सिंह जाति जटसिख नि. बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
7. वीरपाल कौर पुत्री श्री मक्खन सिंह जाति जटसिख नि. बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
8. गुरदीप कौर पुत्री श्री मक्खन सिंह जाति जटसिख नि. बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
9. शाखा प्रबन्धक बैंक आफ बड़ौदा शाखा संगरिया।
10. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व वाद आज वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री भीम पारीक एडवोकेट व मिन जानिब मुदायला प्रति सं. 1 ता 8 श्री कुलदीप मूण्ड व प्रतिवादी सख्या 9 श्री राधेश्याम एडवोकेट एवं प्रतिवादी संख्या 10 राज पैरोकार तहसीलदार (राजस्व) संगरिया पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी डिक्री किया जाता है कि :– तहसील संगरिया के चक 6 एन.टी.डब्ल्यू के खाता संख्या 40/56 जमाबंदी संवत 2073–76 में वादीगण के दादा स्व. श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री गुरदयाल सिंह के नाम से दर्ज 0.253 है. कृषि भूमि में से वादी संख्या 1 गुरविन्द्र सिंह 0.063 हैक्टेयर, वादी संख्या 2 निर्मल सिंह 0.063 हैक्टेयर, वादी संख्या 3 गुरमीत सिंह 0.127 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार व वादीगण के दादा स्व. श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री गुरदयाल सिंह नाम से संगरिया तहसील के चक 7 एन.टी.डब्लयू के खाता संख्या 79/18 जमाबंदी संवत 2070–73 में दर्ज 0.759 है. कृषि भूमि में से वादी सं. 1 गुरविन्द्र सिंह 0.106 है., वादी संख्या 2 निर्मल सिंह 0.105 है., वादी संख्या 3 गुरमीत सिंह 0.211 है. व वादी सं. 4 गुरसेवक सिंह 0. 337 है. कृषि भूमि खातेदार काश्तकार, वादीगण के दादा स्व श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री गुरदयाल सिंह नाम से संगरिया तहसील के चक 16 बी.जी.पी के खाता संख्या 64/11 जमाबंदी संवत 2070–73 में दर्ज 0.506 है. में से वादी संख्या 1 गुरविन्द्र सिंह 0.084 है., वादी संख्या 2 निर्मल सिंह 0.084 है., वादी संख्या 3 गुरमीत सिंह 0.169 है. व वादी संख्या 4 गुरसेवक सिंह 0.169 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार एवं, वादीगण के दादा स्व. श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री गुरदयाल सिंह नाम से संगरिया तहसील के चक 17 बी.जी. पी. के खाता संख्या 129/27 जमाबंदी संवत 2072–75 में 1.012 है. में से वादी संख्या 1 गुरविन्द्र सिंह 0. 169 है., वादी संख्या 2 निर्मल सिंह 0.169 है., वादी संख्या 3 गुरमीत सिंह 0.337 है. व वादी संख्या 4 गुरसेवक सिंह 0.337 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर उक्त समस्त खातों से वादीगण के दादा स्व. श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री गुरदयाल सिंह का नाम कलमजन किया जावे। राजीनामा डिक्री का भाग रहेगा।

नोट :– यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज......×........नल.......×.......मुब्लिक.......×.......निल.......×........बाबत्........×......निल.......×.......खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.......×......अदा करें।

बसब्ब मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 28.12.2022 को जारी किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया